न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आरटीए 212 ,अनवान श्री लक्ष्मण पिता हुका जाति भील निवासी फला खुमानपुर बनाम श्रीमती रेखा देवी पत्नि प्रकाश व्यास जाति ब्राम्हण निवासी गामठवाडा सागवाडा

दिनांक : 5.2.2018

प्रार्थना पत्र प्रार्थी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रथक से वाद प्रस्तुत करते हुए इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि प्रार्थी अनुसूचित जनजाति का होकर गांव फला खुमानपुरा बरबोदनिया तहसील सागवाडा एंव अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 सवर्ण जाति के होकर गामठवाडा सागवाडा के निवासी है । प्रार्थी के स्वामित्व एवं कब्जेदारी की मौजा जेठाना के खाता संख्या 1213 के खसरा नम्बर 1420 रकबा एक बिस्वा बीड एंव खसरा नम्बर 1421 रकबा पांच बिस्वा रकबा छ बिस्वा कृषि भूमि स्थित है । जिस पर प्रार्थी का कब्जा है । उक्त आराजी के समीप विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी का खाता संख्या 1213 का खसरा संख्या 1417 रकबा चार बिस्वा आबादी एवं खसरा संख्या 1418 रकबा तेरह बिस्वा आबादी ,खसरा संख्या 1419 रकबा दो बिस्वा कुल उन्नीस बिस्वा भूमि स्थित है. जिसमें अप्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है । यह कि विपक्षीगण की उक्त भूमि के पास खसरा संख्या 1669 रकबा 1 बीघ 6 बिस्वा किस्म चरागाह भूमि है जिसमें 30 फीट रास्ते का उपयोग व उपभोग प्रार्थी अपने खेतो में जाने के लिए करता है । यह कि उक्त आराजीयात के अतिरिक्त अतिक्रमण की गरज से अप्रार्थीगण चरागाह आराजी नम्बर 1669 पर 30 फीट लम्बाई एवं 2.5 फीट उंची पत्थरों की बाउण्डरी बनाने की असफल कोशिश कर रहे हैं जिन्हें प्रार्थी ने बडी मुश्किल से रोका है । प्रार्थी के खेतों में जाने हेतु एक मात्र रास्ते पर अप्रार्थीगण द्वारा अवरोध किया जा कर रास्ता अवरूद्ध किया जा रहा है एवं चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के अन्त में अप्रार्थीगण द्वारा

Scanned by CamScanner

उक्त चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने एवं प्रार्थी का रास्ता अवरूद्ध नही किए जाने हेतु पाबन्द किए जाने निवेदन किया गया है ।

चूँकि प्रकरण किस्म चरागाह भूमि पर अतिक्रमण सम्बन्धि होने से वकील प्रार्थी द्वारा तत्काल स्थगन हेतु निवेदन किए जाने पर वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत रेकार्ड का अवलोकन किया गया ।

वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस एवं प्रस्तुत रेकार्ड अनुसार आराजी नम्बर 1669 किस्म चरागाह होने से एवं प्रार्थी के खेतों मे आवागमन के लिए उपयोग एवं उपभोग किए जाने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में एवं सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे होने से एंव चरागाह भूमि को नुकसान की दृष्टि से प्रार्थी के पक्ष में इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि आगामी सुनवाई दिनांक तक अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थी के स्वामित्व व कब्जेदारी की मोजा जेठाना के खसरा नम्बर 1420एवं 1421के आगे पूर्वी तरफ चरागाह भूमि खसरा नम्बर 1669 में प्रार्थी के आवागमन के 30 फीट चौडाई के रास्ते पर बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं कोई निर्माण नहीं करें तथा चरागाह भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करें ।

पत्रावली दिनांक ....7|3|18.... को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner